न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—19/14 (2014/00118) वाद पत्र

अनवान

1—अमरा पिता गुलाब गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—नारायणी बेवा अमरा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बालु उर्फ डालु पिता गुलाब गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कंकु बेवा नगजी गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भग्गा उर्फ भगवानलाल पिता मांगु गाडरी नि. बाड़ियाकलां तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—कुसुमी पुत्री मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—सायरी पुत्री मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सुखी पुत्री जयराम गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—पहाड़सिंह पिता किशोरसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकलां तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 06.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1131 रकबा 0.43 है0 ग्राम बाड़ियाकलां तहसील रायपुर के खाता संख्या 11 में अंकित होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 तक साथ प्रस्तुत की है। प्रतिवादी का वादीगण की उक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात से कोई लेना देना नही है। उसका कोई हक अधिकार एवं स्वत्व नही है लेकिन करीब 21 माह से वह नाजायज दखलदांजी करने लगा और वादीगण के ऐतराज करने पर कहता रहा कि तुम्हारी जमीन नपवा लो, मेरे पास तो पट्टा है ओर उसमें उसने मवेशी चराना प्रारम्भ कर दिया दिनांक 26.11.2012 को हमने पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब प्रतिवादी ने फिर हमें धमकी दी कि चाहे कितनी ही पत्थरगढ़ी करवा लो हम मवेशी चराते नही रूकेंगे और मेरी आराजी पर करीब 3 बिस्वा भूमि पर बाड़ा बना दिया। तथा पक्का निर्माण करने पर आमादा है। दिनांक 28.06.2013 को पत्थरगढ़ी करवाने के पश्चात् प्रतिवादी से वादीगण ने नाजायज कब्जा हटाने व कोई निमार्ण न करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने विश्वास दिलाया कि वो अपना बाड़ा हटा लेगा लेकिन उसने अन्य लोगो को भी कब्जा करने बाबत् उकसाया और अन्तिम तौर पर दिनांक 01.01.2014 को मना कर देने से व पहले पत्थर की कच्ची दीवार बना लेने से बिनाय वाद उत्पन्न हुआ है। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी कब्जेयापी की डिक्री इस आशय की जारी फरमायी जावें कि प्रतिवादी ने वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 1131 के आशिंक भाग पर जो नाजायज कब्जा किया है उसे वादीगण को सिपूर्द करें स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय कि जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी द्वारा आराजी संख्या 1131 के जिस आंशिक रकबे पर नाजायज कब्जा किया गया है उस पर प्रतिवादी कोई निमार्ण न करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थिति नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। वादी अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस वाद वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद में डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादीगण वादवर्णित आराजियात के खातेदार कृषक है जिसमें विपक्षीगणो का राजस्व रेकार्ड में कोई नाम नही है वादीगण द्वारा पत्रावली में दिनांक 28.06.2013 को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करायी गई जिसके पर्चे मौके में अंकित किया कि इस आराजी में अन्य व्यक्तियो का कब्जा है और उसी आधार पर वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है प्रतिवादी को समन भेजने के बाद भी उपस्थित नही होने से यह माना जा सकता है कि इस प्रकरण में विपक्षी को कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ियाकलां के आराजी नम्बर 1131 रकबा 0.43 है0 भूमि मे से प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत 3 बिस्वा भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को कब्जा सिर्पूद किया जावे साथ ही प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की आराजी संख्या संख्या 1131 में किसी प्रकार का निमार्ण नही करे न ही वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी करे। इस आशय की डिक्री जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.8.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–19/14 (2014/00118) वाद पत्र

अनवान

1–अमरा पिता गुलाब गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–नारायणी बेवा अमरा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–बालु उर्फ डालु पिता गुलाब गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–कंकु बेवा नगजी गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–भग्गा उर्फ भगवानलाल पिता मांगु गाडरी नि. बाड़ियाकलां तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–कुसुमी पुत्री मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–सायरी पुत्री मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–सुखी पुत्री जयराम गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–पहाड़सिंह पिता किशोरसिंह राजपुत नि. बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ियाकलां के आराजी नम्बर 1131 रकबा 0.43 है0 भूमि मे से प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत 3 बिस्वा भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को कब्जा सिर्पूद किया जावे साथ ही प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की आराजी संख्या संख्या 1131 में किसी प्रकार का निमार्ण नही करे न ही वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी करे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6.8.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 16:59:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: